वैदिक उपासना पीठद्वारा प्रकाशित

बुधवार, पौष कृष्ण पक्ष, अष्टमी, कलियुग वर्ष ५१२२ (६ जनवरी, २०२१)

वैदिक उपासना

राष्ट्र एवं धर्मके पुनरूत्थान हेतु समर्पित ऑनलाईन दैनिक वृत्त पत्र

धर्माचरण हेतु कष्ट उठाना, राष्ट्र हेतु समय देना एवं साधना हेतु त्याग करना, यह सनातन उपासना है।

e-mail : upasanawsp@gmail.com, website : www.vedicupasanapeeth.org.

जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रं

७ जनवरी २०२१ का वैदिक पंचांग

कलियुग वर्ष – ५१२२ / विक्रम संवत – २०७७ / शकवर्ष - १९४२.....कलके पंचांगके सम्बन्धमें और जानकारी हेतु इस लिंकपरजाएं.....https://vedicupasanapeeth.org/hn/kal-ka-panchang-07012021

देव स्तुति

प्रत्याहारं चेन्द्रिययजनं प्राणायां न्यासविधानम्।
इष्टे पूजा जप तपभक्तिर्न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं॥

अर्थ : प्रत्याहार और इन्द्रियोंका दमन, प्राणायाम, न्यास-विन्यासका विधान, इष्टदेवकी पूजा, मन्त्र जप, तपस्या व भक्ति, इन सबमेंसे कुछ भी श्रीगुरुसे बढकर नहीं है, श्रीगुरुसे बढकर नहीं है।

शास्त्रवचन

सल्लक्षणं प्रेम भरस्य कृष्णे
कैश्चिद रसज्ञैरुत कथ्यते तत्।
प्रेम्णो भरेणैव निजेष्टनाम -
संकीर्तनं हि स्फुरति स्फुटं तत्॥

अर्थ : कितने ही रसज्ञजन उस कृष्णनामको ही कृष्ण-विषयक अत्यन्त प्रेमका उत्तम लक्षण बताते हैं; क्योंकि अधिक प्रेमसे ही अपने इष्टदेवके नामका सङ्कीर्तन स्पष्टरूपसे स्फुरित होता है।

****

गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन्मम सन्निधौ।
इदं ब्रवीमि ते सत्यं क्रीतोऽहं तेन चार्जुन॥

अर्थ : अर्जुन ! जो मेरे नामोंका गान करके मेरे निकट नाचने लगता है, उसने मुझे क्रय कर लिया है। यह मैं तुमसे सत्य बात कहता हूं।

धर्मधारा

ईश्वर प्राप्ति करनेवाले चार प्रकारके लोग

इस संसारमें चार प्रकारके लोगोंको ईश्वर चाहिए होते हैं। पहले वे हैं जो बहुत दुःखी होते हैं और उनके पास अपने दुःखोंको दूर करनेका एक मात्र साधन ईश्वर होते हैं, ऐसे लोग मायासे दुत्कारे जानेपर ईश्वरकी शरणमें आते हैं।

दूसरी श्रेणीमें और अधिक सुख, ऐश्वर्य, धन-सम्पत्तिके इच्छुक भोगी लोग होते हैं, उन्हें ज्ञात होता है कि ईश्वरसे मांगनेसे उन्हें इच्छित फलकी प्राप्ति होगी; अतः वे ईश्वरकी शरणागत होते हैं। तीसरी श्रेणीमें वे लोग होते हैं जिन्हें धर्म, अध्यात्म, ईश्वर और स्वयंके विषयमें जिज्ञासा होती है।

चौथी श्रेणीमें ज्ञानी और मुमुक्षु आते हैं, वे मात्र ईश्वरको पाने हेतु या आत्मसाक्षात्कार हेतु ईश्वरसे प्रेम करते हुए, इस मार्गपर चलते हैं।

****

भोजनको प्रसाद मानकर कृतज्ञताके भावसे ग्रहण करें !

आजकल अनेक व्यक्ति भोजनको जूठा छोड देते हैं, वह एक प्रकारसे ब्रह्मरूपी अन्नका तिरस्कार करना है। भोजनमें मीनमेख निकालनेसे भी भोजनकी अवमानना होती है, जो प्राप्त हुआ है, उसे कृतज्ञताके भावसे ग्रहण करनेसे सभी देहोंका पोषण होता है। भोजन, इस शरीरको स्वस्थ रखनेका एक माध्यम है और शरीर मोक्षप्राप्ति एवं समाज कल्याणका माध्यम है। इसलिए इस शरीरके पोषण हेतु हमें सदैव सुलभतासे भोजनरूपी उनका प्रसाद प्राप्त हो, इस प्रकार अपने इष्टसे प्रार्थना करना चाहिए। इस तथ्यकी पुष्टि यह शास्त्रवचन करता है पूजयेदशनं नित्यमद्याच्चैतदकुत्सयन्। दृष्ट्वा हृष्येत्प्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सर्वशः ॥- मनुस्मृति(२.५७)

अर्थात मनुष्यको जैसा भी भोजन प्राप्त हो उसे देखकर मनमें प्रसन्नता अनुभव करे, उसे बिना निन्दा किए, सम्पूर्ण सेवन करे, जूठन नहीं छोडे ! प्राप्त भोजनकी प्रशंसा करे तथा मनमें किसी प्रकारकी हीन भावना नहीं लाए। मुझे ये अन्न सदैव प्राप्त हो, इस प्रकार उसका प्रतिनन्दन करे !

****

निधर्मी लोकतन्त्र हिन्दुत्ववादियोंको सुरक्षा देनेमें असक्षम !

आए दिन देशके भिन्न राज्योंमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल इत्यादि बलाढ्य राष्ट्रवादी संगठनके कार्यकर्ताओंकी हत्या, एक हिन्दुत्ववादी कही जानेवाले केन्द्र शासनके कार्यकालमें होना और वह भी तब जब स्वयं इस देशके प्रधानमन्त्री ऐसे ही एक दलके प्रचारक और सदस्य रह चुके हों, यह स्पष्ट दर्शाता है कि इस देशकी और हिन्दुओंकी स्थिति दिन प्रतिदिन विकट होती जा रही है एवं निधर्मी लोकतन्त्र हिन्दुत्ववादियोंको सुरक्षा देनेमें असक्षम रहा है, चाहे किसी भी राजनितिक दलका शासन हो एवं अब हिन्दू राष्ट्रकी स्थापना ही इस स्थितिको परिवर्तित करने हेतु एकमात्र पर्याय है।

– (पू.) तनुजा ठाकुर, सम्पादक

प्रेरक प्रसंग

गुण-अवगुण

दो विद्वान मित्र एक प्रतिष्ठित सेठके यहां उनके निमन्त्रणपर पूजा-पाठ करनेके लिए गए। उनमें से एक विद्वान मित्र पूजा करनेके लिए प्रातः जाता था। एक दिवस सेठजीने विनम्र स्वभावके साथ हाथ जोडकर विद्वानसे कहा, "महाराज जी ! आपका मित्र तो बहुत ही भला व्यक्ति है। इतना सुनते ही उसने सेठको उत्तर देते हुए कहा, "वह तो निरा बैल है। किसी भी बातकी जानकारी नहीं है उसे। मेरे साथ रहता है, इसलिए उसे थोडा-बहुत सम्मान मिल जाता है।"

अगले दिवस जब दूसरा मित्र हवन करनेके लिए आया, तब सेठने वही बात उस विद्वान मित्रके सामने भी कही । इसपर दूसरे मित्रने भी उत्तर देते हुए कहा, “वह तो निरा गधा है। वह तो मेरे साथ इसलिए रहता है, जिससे मेरी सामग्री ढो सके। उसे मैंने अपनी सेवा करनेके लिए अपने साथ रखा हुआ है।"
सेठजीको दोनों मित्रोंका ऐसा कथन सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ।
एक सन्ध्या जब दोनोंकी पूजा समाप्त हो गई और वे एक साथ भोजन करनेके लिए सेठजीके यहां आए, तब सेठने दोनोंकी थालीमें हरी घास रख दी और उनसे कहा, “महाराज ! इस भोजनको स्वीकार करें !"
दोनों मित्र क्रोधसे आग-बबूला हो उठे। इसके पश्चात सेठजीने उनके सामने हाथ जोडते हुए कहा, “महाराज ! आप दोनों मित्रोंने ही एक दूसरेको 'गधा' और 'बैल' बताया है और मुझे लगता है कि हरी घास, गधे और बैलके लिए प्रिय भोजन होना चाहिए।"
दोनों मित्र इस बातके लिए बहुत लज्जित हुए और उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था।
यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर अवगुण देखना और दूसरोंमें गुण देखना आरम्भ कर दे, तो वह इस प्रकारके व्यवहारसे बच सकता है। हमें दूसरोंमें चूकें ढूंढना बन्द कर देना चाहिए। आप स्वंयमें कितनी चूकें ढूंढते हैं और उन्हें ठीक करते हैं ? ये बात महत्त्वपूर्ण है।

घरका वैद्य

मूंगफली (भाग-४)

९. स्वस्थ्य त्वचाके लिए : मूंगफलीके 'सूजन' कम करनेवाले गुण 'सोरायसिस' और 'एक्जिमा' जैसे त्वचाके रोगोंकी चिकित्सा करते हैं। मूंगफलीमें पाया जानेवाला 'फैटी एसिड' भी सूजन और त्वचाकी लालिमाको कम करता है। मूंगफलीमें पाया जानेवाला 'फाइबर' विषाक्त पदार्थों और हानिकारक तत्त्वोंको शरीरसे बाहर निकालनेके लिए उत्तम है। शरीरके भीतर विषाक्त पदार्थ होनेसे त्वचापर ढीलापन आने लगता है। नियमित रूपसे मूंगफलीका भोजनके पश्चात सेवन करनेसे, त्वचा स्वस्थ रहती है। 'मैग्नीशियम'से परिपूर्ण मूंगफली हमारी तन्त्रिकाओं, मांसपेशियों और रक्त-वाहिकाओंको शान्त करके, त्वचाके लिए उत्तम रक्त-प्रवाह प्रदान करती है, जिससे आपको एक युवा और स्वस्थ त्वचा मिलती है। मूंगफलीमें पाया जानेवाला 'बीटा कैरोटीन' एक 'एंटीऑक्सीडेंट' है जो त्वचाके स्वास्थ्यके लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होता है।

१०. भार (वजन) कम करनेके लिए : मूंगफली शरीरका भार कम करनेके लिए भी बहुत उपयोगी है। मूंगफलीमें 'प्रोटीन' और 'फाइबर' होते हैं। ये दोनों पोषक तत्त्व भूखको कम करनेमें प्रभावी हैं। इसलिए भोजनके मध्य कुछ मूंगफली खानेसे आपकी भूख कम हो सकती है, जिससे भार कम करनेमें सहायता मिल सकती है। प्रतिदिन एक मुट्ठीभर मूंगफलीका सेवन करनेसे शीघ्र ही शरीरका भार कम होने लगता है।

११. अवसादके (स्ट्रेसके) लिए : शरीरमें 'सेरोटोनिन'का कम स्तर अवसाद जैसी समस्या उत्पन्न कर सकता है। मूंगफलीमें 'ट्रिप्टोफेन' इस अवसादयुक्त रसायनको नष्ट करनेमें बहुत सहायक सिद्ध हुआ है और इस प्रकार यह आपको अवसादसे मुक्त करनेमें सहायक होता है।

मूंगफलीद्वारा स्वास्थ्य लाभके लिए एवं भयानक रोगोंसे बचनेके लिए और स्वस्थ रहनेके लिए प्रत्येक सप्ताह दो बडे चम्मच मूंगफलीके मक्खनका सेवन करना चाहिए । 'एंटीऑक्सिडेंट्स'से युक्त मूंगफलीमें 'विटामिन-ई' 'E' भी बडी मात्रामें पाया जाता है जो एक उत्तम 'एंटीऑक्सिडेंट' है । यह तनावको कम करता है और त्वचाको सुन्दर बनाता है; अतः में तनावमुक्त, स्वस्थ्य और सुन्दर त्वचाके लिए मूंगफली अवश्य खानी चाहिए ।

उत्तिष्ठ कौन्तेय

झारखण्डमें युवतीके दुष्कर्मके पश्चात हत्या; सिर लुप्त, गुप्तांग भी काटा

झारखण्डके रांचीमें एक युवतीकी सिरकटा शव मिलनेसे हडकम्प मच गया । प्रकरण ओरमांझी थानाके जिराबार जंगलका है । महिलाका शव नग्न अवस्थामें मिला है और उसके शीशको ढूंढा जा रहा है । पुलिस जांचमें जुटी हुई है ।

ओरमांझी पुलिसका कहना है कि आसपासके लोगोंको बुलाकर शव दिखाया गया; परन्तु कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया । पुलिस आशंका प्रकट कर रही है कि युवतीके साथ दुष्कर्म करनेके पश्चात अपराधियोंने गला रेतकर उसकी हत्या कर दी । युवतीके शरीरपर एक भी वस्त्र नहीं मिला । अपराधियोंने युवतीका गुप्तांग भी काट दिया है !

कुछ 'मीडिया रिपोर्ट्स'में यह भी कहा जा रहा है कि पुलिसको घटनास्थलपर भोजन बनानेके लिए चूल्हा और कई 'बीयर'की रिक्त बोतलें भी मिली हैं । इससे भी अनुमान लगाया जा रहा है

कि युवतीके साथ दुष्कर्मकर उसकी हत्या की गई है और साक्ष्य छुपानेके लिए उसके वस्त्र और शीशको 'गायब' कर दिया गया।

शवका अभिज्ञान (पहचान) नहीं हो पाए, इसी कारण सिरको कहीं और ले जाकर फेंक दिया गया होगा। युवतीके मिले शवके विरोधमें लोगोंने किशोरगंज चौकपर सोमवार, ४ जनवरीको विरोध प्रदर्शन किया। इस मध्य क्रोधित लोगोंने प्रदर्शन किया। उन्होंने झारखण्डके मुख्यमन्त्री हेमंत सोरेनको रांचीके किशोरगंज चौकके पास रोक दिया और रोकनेका प्रयास किया।

इसप्रकारकी घटनाएं यह दर्शाती है कि झारखण्डमें अपराधियोंमें भय समाप्त हो चुका है।

****

पत्थर मारनेवालोंकी सम्पत्तिसे मध्य प्रदेश शासन कराएगा क्षतिपूर्ति, बनाया जाएगा नूतन विधान

मध्य प्रदेशके मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानने कडा निर्णय लिया है। उन्होंने पत्थर मारनेवालोंको कठोर दण्ड देनेका विधान बनानेकी बात कही है। उनका कहना है कि पत्थर मारकर लोगोंको चोटिल करना कोई सामान्यसी बात नहीं है। ऐसे अपराधी समाजके शत्रु हैं और उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता।

शिवराज सिंहने 'मीडिया'को बताया कि इस अधिनियमके अन्तर्गत, जिन उपद्रवियोंको दोषी पाया जाएगा, उन्हींकी सम्पत्तिसे पीडितोंके लिए हानिकी क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। पिछले कुछ समयसे इन्दौर, उज्जैन और मन्दसौरके क्षेत्रोंमें, परस्पर झडपोंमें पत्थर मारे गए। ऐसे अपराधियोंद्वारा किसीकी

भी मृत्यु हो सकती है। पत्थर मारनेवालोंके कारण आतङ्ककी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और लोग भयभीत हो जाते हैं। भगदड हो जानेपर अव्यवस्था हो जाती है। इन असाधारण अपराधियोंके लिए ही एक ऐसा कठोर दण्डनीय विधान बनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उज्जैन स्थित बेगमबागके क्षेत्रमें 'रामनिधि सङ्ग्रहण'की 'रैली' निकाली थी; किन्तु जिहादियोंने अपने घरोंकी छतोंसे पत्थरोंकी वर्षा की थी, जिससे दस लोग चोटिल हो गए थे और जिहादियोंने उनके अनेक वाहनोंको भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। जिस घरकी छतसे पत्थर मारे गए थे, उनके एक घरको भी इसी कारणसे शासनने ध्वस्त कर दिया था।

मुख्यमन्त्री शिवराज सिंहने यह बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। ऐसा निर्णय बहुत पहले ही ले लिया जाना चाहिए था। अभीतक इन दोषियोंको कुछ साधारणसा दण्ड दिया जाता रहा है; किन्तु अब इनकी सम्पत्ति विक्रय करनेके साथ-साथ लम्बे कारावासका दण्ड भी दिया जाना चाहिए। अपराधियोंको कठोर दण्डका सामना करना पडेगा, तो ही वे भयभीत होंगे। (०५.०१.२०२१)

****

रेड्डी शासनने किया हिन्दुओंके साथ विश्वासघात, ४०० वर्ष प्राचीन राममूर्तिका शीश पृथक किया

आंध्र प्रदेशके पूर्व मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबू नायडूने शनिवार, २ जनवरीको वर्तमान जगन रेड्डी शासनपर हिन्दुओंसे विश्वासघात करते हुए मन्दिरोंपर आक्रमण और धर्मान्तरणको बढावा देनेके आरोप लगाते हुए कहा कि विशाखापट्टनममें रामतीर्थ पहाडीपर श्री कंदापानी मन्दिरमें भगवान रामकी

४०० वर्ष प्राचीन मूर्तिका शीश 'धड'से पृथक कर दिया गया, पूजा स्थलोंपर आक्रमणकी निरन्तर होती घटनाओंका एक और नूतन उदाहरण है।

नायडूने विजयनगरम जनपदके रामतीर्थममें एक सभाको सम्बोधित करते हुए कहा, "जगन रेड्डी ईसाई हो सकते हैं; परन्तु वह अपनी शक्तिका प्रयोग हिन्दुओंको धर्मान्तरित करनेके लिए कर रहे हैं, यदि सत्तामें लोग धर्मान्तरणका आश्रय लेते हैं, तो यह विश्वासघात कहलाता है। धार्मिक असहिष्णुता दिखाते हुए उपद्रवियोंने भगवान राम व सुब्रह्मण्यम स्वामीकी मूर्तिके साथ तोडफोड की; परन्तु रेड्डी शासन दोषियोंको पकडनेके लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है; क्योंकि मुख्यमन्त्री ईसाई हैं।" उन्होंने कहा कि पिछले १९ माहमे मन्दिरों, मूर्तियों और पुजारियोंपर १२७ से अधिक आक्रमणोंमें अबतक एकभी आरोपीको नहीं पकडा गया।

ऐसा दृष्टिगत होता है कि मुख्यमन्त्रीकी दृष्टिमें हिन्दू धर्मकी भावनाओंका कोई महत्त्व नहीं हैं; परन्तु जिन दुष्टोंने मूर्तिसे तोडफोड की और जो लोग दोषियोंको बचानेका प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भगवानके क्रोधका सामना करना पडेगा।

जानकारीके अनुसार, कालान्तरमें आंध्र प्रदेशके राजमुन्द्रीके विघ्नेश्वर मन्दिरमें भगवान सुब्रह्मण्येश्वर स्वामीकी प्रतिमाको भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। राजमुंद्रीको आंध्रकी सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं; परन्तु लोगोंका कहना है कि यहां ईसाई 'मिशनरियों'का बोलबाला है।

सभी हिन्दुओंको मिलकर रेड्डी शासनके विरोधमें अपना विरोध प्रविष्ट करते हुए उचित न्याय व कार्यवाहीकी मांग करनी चाहिए।

****

२७ वर्ष पूर्व मुम्बई बम विस्फोटमें मारे गए २५७ लोगोंकी हत्याकी आरोपी रुबीना मेमन आएंगी कारागारसे बाहर

रुबीना सुलेमान मेमनको मुम्बई उच्च न्यायालयने ३१ दिसम्बरको 'पेरोल'पर कारागारसे बाहर आनेकी अनुमति प्रदान की है। रूबीनाने अपनी पुत्रीके विवाहका ब्यौरा देते हुए 'पेरोल'की मांग की थी। १९९३ में मुम्बईमें हुए धमाकोंके अन्तर्गत रुबीना आजीवन कारावासका दण्ड भोग रही हैं। ८ जनवरी २०२१ को उनकी पुत्रीका विवाह होना है। उच्च न्यायालयके न्यायाधीश एसएस शिंदे व न्यायाधीश अभय आहूजाकी पीठने पुत्रीके मानवाधिकारोंके अन्तर्गत 'पेरोल'की अनुमति प्रदान की है। न्यायालयने अपने आदेशमें कहा कि पूर्व बताए गए प्रकरणों और पुत्रीके मानवाधिकारोंको देखते हुए हम 'पेरोल' याचिकाको स्वीकार कर रहे हैं। इससे पूर्व रुबीना मेमनने यरवदा केन्द्रीय कारागारमें भी 'पेरोल'के लिए आवेदन किया था; परन्तु अधिकारियोंने इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया, जिसके पश्चात उसने उच्च न्यायालयमें याचिका प्रविष्ट की। न्यायालयके समक्ष याचिकामें कहा गया कि उसके १३ वर्षके कारावासमें कभी 'पेरोल' प्रदान नहीं की गई है। इसके पश्चात न्यायालयने कारागारके भीतर रूबीनाके व्यवहारकी जानकारी लेते हुए उसे ६ जनवरीतक 'पेरोल'की अनुमति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि रुबीना मेमन १९९३ मुम्बई बम धमाकोंके अन्तर्गत दोषी हैं व यरवदा केन्द्रीय कारागारमें आजीवन कारावासका दण्ड भुगत रही हैं। उन बम धमाकोंमें २५७ लोगोंकी मृत्यु हुई थी व लगभग ७०० लोग चोटिल हुए थे। वह इस प्रकरणके मुख्य आरोपी टाइगर

मेमनकी भाभी हैं । प्रतिवेदनके अनुसार, टाइगर मेमन पाकिस्तानमें छुपा है । २००६ में रुबीनाको 'आतङ्कवादी और विघटनकारी गतिविधियों अधिनियम (टाडा)'के अन्तर्गत दोषी पाया गया था।

देशके नागरिकोंके हत्यारोंको पुत्रीके विवाह समारोहमें हर्ष मनाने हेतु 'पेरोल' प्रदान की जा रही है । वही पाकिस्तानके कारावासमें अनेक निर्दोष हिन्दू यातनाएं सहकर जीवन जी रहे हैं । इसी से ज्ञात होता है कि न्याय व्यवस्था भारतमें पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है और हिन्दूराष्ट्र ही अब एक विकल्प है।

****

मुम्बईके मालवणीमें निवास करते थे १०० हिन्दू परिवार, अब रहे ८-१०, घरोंका अधिग्रहण कर रहे हैं मुसलमानोंको मन्त्री असलम शेखका संरक्षण

मुम्बईके मालाडके मालवणी क्षेत्रमें बहुसङ्ख्यक मुसलमान समुदायके कारण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सहित सभी हिन्दू परिवार उस क्षेत्रको त्यागकर जानेको विवश हैं । पहले लगभग १०० हिन्दू परिवार उस क्षेत्रमें निवास करते थे। अब वे परिवार कुल ८-१० बच गए हैं, वे भी वहांसे पलायन करनेके इच्छुक हैं । स्थानीय लोगोंके अनुसार, वहांके मुसलमान गुण्डोंको महाविकास आघाडी शासनमें कांग्रेसके 'कैबिनेट' मन्त्री असलम शेखका संरक्षण प्राप्त है । एक पीडितका कहना है कि ये गुण्डे हिन्दुओंके भवनोंपर अतिक्रमण कर लेते हैं; तदनन्तर वहां दरगाह तथा मदरसे निर्मित कर देते हैं।

पीडितके अनुसार, पुलिस इन 'गुण्डों'के विरुद्ध प्राथमिकी प्रविष्ट होनेपर भी कोई कार्यवाही नहीं करती; जबकि ये 'गुण्डे'

मात्र भूमि अतिक्रमणके अपराधमें ही नहीं, वरन मादक पदार्थ तस्करी जैसे अवैध कार्य भी करते हैं।

बीजेपी अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढाने इसका संज्ञान लेकर वहांके पीडित निवासियोंसे वार्तालाप किया। बीजेपी अध्यक्ष सुनील कोलीने भी बताया कि वहां जो 'गुण्डे' सवर्ण, अनुसूचित जाति/जनजातिके लोगोंको धमकाते हैं; उन्हें स्थानीय नेता असलम शेखका संरक्षण प्राप्त है। ये लोग महिलाओंको भी प्रताडित करते हैं। इन घटनाओंका संज्ञान लेकर भाजपाने स्थानीय पुलिस अधिकारियोंसे कहा है कि वे १५ जनवरीतक इस सम्बन्धमें क्या कार्यवाही की गई ?, वह बताएं। यदि पुलिस पीडितोंको उनके अधिकार दिलानेमें असमर्थ हो तो भाजपा आन्दोलन करेगी।

शिवसेना स्वयंको हिन्दू पक्ष दर्शाता है। उसके शासनमें यह लज्जास्पद है। केन्द्र शासनको इसका संज्ञान लेकर हिन्दुओंका संरक्षण करना चाहिए।

(०५.०१.२०२१)

****

बंगालसे केन्द्र शासनका धन भेजा गया बांग्लादेश, 'TMC' नेता समसुल अरफिनने रचा था षड्यन्त्र, बनवाए थे छद्म 'जॉब कार्ड'

बंगालके मुसलमान बहुसङ्ख्यक जनपद मुर्शिदाबादमें 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम २००५ (मनरेगा)' योजनामें धोखाधडीका समाचार सामने आया है। 'हिन्दुस्तान टाइम्स'की 'रिपोर्ट'के अनुसार, प्रशासनद्वारा जारी आन्तरिक जांचमें पता चला है कि स्थानीय

'टीएमसी' नेताने 'मनरेगा'को चूना लगाते हुए अपने बांग्लादेशी सम्बन्धियोंको ७ लाख रुपए भेजे।

आरोपी 'टीएमसी' नेता और नाबाग्राम 'ब्लॉक'में गुरपशला ग्राम पंचायतके उप प्रमुख समसुल अरफिनने मनरेगासे धन एकत्रित करनेके लिए अपने सम्बन्धियोंके नामसे छद्म 'जॉब कार्ड' बनवाए थे। कथित ढंगसे अरफिनने समान लाभार्थियोंके नामके 'वेरिएंट'का उपयोग करके छद्म 'जॉब कार्ड' बनाए और 'एटीएम कार्ड'का उपयोग करके 'बैंकों' और डाकघरोंसे पैसे निकाले। एक प्रतिवेदनके अनुसार, उसने कपटसे प्राप्त धन अपने सम्बन्धियोंको स्थानान्तरित कर दिया, जिनमेंसे १३ बांग्लादेशी नागरिक हैं।

लिखित परिवादके पश्चात, एक पूर्व खण्ड विकास अधिकारीने आन्तरिक जांच की और पाया कि गुरपशला ग्राम पंचायतके उप प्रमुख और अन्य कर्मचारी सदस्य धनके दुरुपयोगमें सम्मिलित थे। पूर्व 'बीडीओ'ने अरफिन और अन्यके विरुद्ध परिवाद प्रविष्ट की, जिसके पश्चात दिसम्बर २०१९ में नबाग्राम पुलिस थानेमें 'एफआईआर' लिखी गई थी।

वर्तमान 'बीडीओ' पंकज दासके अनुसार, भारती दण्ड संहिताकी धारा ३४, ४०६, ४०९, ४२० और ४८६ के अन्तर्गत प्रकरण प्रविष्ट किया गया। अधिकारियोंने कहा कि प्राथमिकी लिखनेके पश्चात, अरफिनने अग्रिम प्रतिभूतिके लिए कलकत्ता उच्च न्यायालयकी ओर पग बढाया। न्यायालयने याचिका निरस्त कर दी; परन्तु आरोपित अरफिनको बन्दी नहीं किया गया। एक पुलिस अधिकारीने बन्दीकरणका आश्वासन देते हुए माना कि कुछ कर्मचारियोंकी सहायतासे अरफिनने शासकीय धनका हरण किया।

प्रकरणके विषयमें चर्चा करते हुए, 'TMC'के प्रवक्ता अपूर्वा शासनने कहा, “यदि उप प्रमुख शासकीय धनके कथित हरणमें सम्मिलित है, तो प्रशासनको उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करनेका अधिकार है। हम उसमें ढाल नहीं बनेंगे।”

आए दिन 'टीएमसी' मुसलमान बहुसङ्ख्यकों शासनकी योजना परियोजनाओंका अवैध लाभ दे रही है और समाचारोंके अनुसार सुननेमें भी आता है कि वहां हिन्दू नेताओं और उनसे सम्बन्धित लोगोंकी हत्याओंका कारण भी इसी 'पार्टी'के लोग हैं । क्या यह पार्टी देशमें उपद्रवी लोगोंकी सहायताके लिए है ? केन्द्र शासनको ऐसे देशद्रोही दलको प्रतिबन्धित करवाना चाहिए और इस अपराधमें जो सम्मिलित हैं, उनको दण्ड देना चाहिए।

****

आदिवासी बालिकाओंका यौन उत्पीडन, केरलसे नौफल और शमीम बनाए गए बन्दी

केरलमें आदिवासी लडकियोंका यौन उत्पीडन करनेके आरोपमें पुलिसने २ युवकोंको बन्दी बनाया है । इनका अभिज्ञान कम्बलाक्कड निवासी मोहम्मद नौफल शऔर कानिंपत्त शमीमके रूपमें हुआ है। एककी आयु १८ वर्ष है और दूसरा आरोपी १९ वर्षका है।

स्थानीय 'मीडिया' ब्यौरेके अनुसार, आदिवासी लडकियां इन दोनों युवकोंकी मित्र थीं और चलभाषके जरिए वार्तालाप करते हुए इनके साथ सम्पर्कमें आई थीं । ये दोनों युवक इसी मित्रताका लाभ उठाकर उन्हें आंग्ल नववर्षकी पूर्व सन्ध्यापर अपने साथ ले गए और उनका यौन उत्पीडन किया।

पुलिसने इस प्रकरणकी प्राथमिकी प्रविष्ट करनेके पश्चात तत्काल कार्यवाही करते हुए दोनों भाइयोंको बन्दी बना लिया था और उनपर 'पॉक्सो एक्ट'के अन्तर्गत प्रकरण प्रविष्ट हुआ था । पुलिसने बताया था कि आरोपियोंने बच्चियोंका बलात्कार करनेके पश्चात उन्हें धमकी दी थी कि वह अपने पिता और सम्बन्धियोंमेंसे किसीको इस सम्बन्धमें न बताएं !

जिहादी पहले तो कुकर्म करते हैं, तत्पश्चात धमकी देकर उन्हें धमकाते हैं; किन्तु उनकी धमकियोंसे लडकियों तथा युवतियोंको भयभीत न होकर उनका विरोध करना चाहिए ।

****

'टिकटॉक'पर 'आतंक' परोस प्रसिद्ध हुआ फैजू 'ओटीटी'पर 'लॉन्च' 'ट्रैलर'का 'पब्लिक'ने बजा दिया 'बैंड'

प्रतिबन्धित 'ऐप्प' 'टिकटॉक'पर फैजू नामक धर्मान्धने अनेक 'वीडियो' बनाए और उसके अनेक अनुयायी (फॉलोअर) भी थे । इसी फैजल शेखने महिलाओंपर 'एसिड' फेंकनेका 'वीडियो' भी बनाया था, जिसकी अत्यन्त निन्दा की गई थी और इस्लामी आतंकवादका समर्थन करनेवाले भी अनेक 'वीडियो' इसने बनाए हैं ।

इसीको नायक बनाकर 'ओटीटी प्लेटफॉर्म'पर 'ऑल्ट बालाजी' एक 'वेबसीरीज' लेकर आनेवाला है, जिसका नाम 'बैंग बांग' है । जब अन्तर्जालपर इसका 'ट्रैलर' आया तो उसे जितने लोगोंने 'लाइक' किया उससे तीन गुना अधिक लोगोंने 'डिसलाइक' किया है ।

उक्त सूचनासे सिद्ध हो रहा है कि अब हिन्दुओंमें, विशेषरूपसे हिन्दू युवाओंमें चेतना आ रही है और यह शुभ

संकेत है; किन्तु अभी हिन्दू जागरणका अभियान और भी वेगसे चलाना सभी धर्मनिष्ठ हिन्दुओंका कर्तव्य है।

****

वैदिक उपासना पीठद्वारा कुछ आवश्यक सूचनाएं

१. वैदिक उपासना पीठद्वारा विजयादशमीसे अर्थात दि. २५/१०/२०२० से ऑनलाइन बालसंस्कारवर्गका शुभारंभ हो चुका है। यह वर्ग प्रत्येक रविवार, त्योहारोंको एवं पाठशालाके अवकाशके दिन प्रातः १० से १०:४५ तक होगा। इस वर्गमें ७ वर्षसे १५ वर्षकी आयुतकके बच्चे सहभागी हो सकते हैं। यदि आप अपने बच्चोंको इसमें सम्मिलित करने हेतु इच्छुक हैं तो पञ्जीकरण हेतु कृपया 9717492523, 9999670915 के व्हाट्सऐप्पपर सन्देशद्वारा सम्पर्क करें।

२. वैदिक उपासना पीठके लेखनको नियमित पढनेवाले पाठकोंके लिए निःशुल्क ऑनलाइन सत्सङ्ग आरम्भ किया जा चुका है।

आनेवाले सत्संगका विषय व समय निम्नलिखित है :

सङ्ख्या सीमित होनेके कारणकृपया अपना पञ्जीकरण यथाशीघ्र कराएं। इस हेतु ९९९९६७०९१५ (9999670915) या ९७१७४९२५२३ (9717492523) के व्हाट्सएप्पपर अपना सन्देश भेजें। कृपया पञ्जीकरण हेतु फोन न करें।

अगले कुछ सत्सङ्गोंकी पूर्व सूचना :

अ. जपमालासे सम्बन्धित तथ्य १ जनवरी, रात्रि ९.३० बजे

आ. शिष्यके गुण, ४ जनवरी, रात्रि ९.३० बजे

इ. नमस्कारसे सम्बन्धित शास्त्र, ६ जनवरी, रात्रि ९.३० बजे

ई. नामजप कब, कहां और कितना करें ? ८ जनवरी, रात्रि ९.३० बजे

३. वैदिक उपासना पीठद्वारा प्रत्येक दिवस भारतीय समय अनुसार रात्रि नौसे साढे नौ बजे 'ऑनलाइन सामूहिक नामजप'का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें साधना हेतु मार्गदर्शन भी दिया जाएगा, साथ ही आपको प्रत्येक सप्ताह 'ऑनलाइन सत्सङ्ग'के माध्यमसे वैयक्तिक स्तरपर भी साधनाके उत्तरोतर चरणमें जाने हेतु मार्गदर्शन दिया जाएगा, यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमें ९९९९६७०९१५ (9999670915) या ९७१७४९२५२३ (9717492523) पर "मुझे सामूहिक नामजप गुटमें जोडें", यह व्हाट्सऐप्प सन्देश भेजें !

४. जो भी व्यक्ति वैदिक उपासना पीठके तत्त्वावधानमें अग्निहोत्र सीखना चाहते हैं वे ९९९९६७०९१५ के व्हाट्सऐप्पपर अपना सन्देश इसप्रकार भेजें ,'हमें कृपया अग्निहोत्र गुटमें सम्मिलित करें।'

५. कोरोना जैसे संक्रामक रोग एवं भविष्यकी आपातकालकी तीव्रताको ध्यानमें रखते हुए वैदिक उपासना पीठद्वारा संक्षिप्त दैनिक हवन कैसे कर सकते हैं ?, इस विषयमें १५ अगस्तसे एक नूतन उपक्रम आरम्भ किया जा रहा है। इसमें अग्निहोत्र समान इसे सूर्योदय या सूर्यास्तके समय ही करनेकी मर्यादा नहीं होगी, इसे आप एक समय या सप्ताहमें जितनी बार चाहे, कर सकते हैं । यदि आप सीखना चाहते हैं तो ९९९९६७०९१५ पर हमें इस प्रकार सन्देश भेजें, “हम दैनिक हवनकी सरल विधि सीखना चाहते हैं, कृपया हमें यथोचित गुटमें जोडें।”

प्रकाशक : Vedic Upasana Peeth
जालस्थल : www.vedicupasanapeeth.org
ईमेल : upasanawsp@gmail.com
सम्पर्क : + 91 9717492523 / 9999670915